



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 1536 /12-1(2), कोटबंगला दिनांक 10 /11 /2017

सेवा में,

महा प्रबन्धक,
राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
भवन नं०-58/37 प्रथम तल बलवीर रोड, देहरादून-248001

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-134 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-94) के कि०मी० 24.300 से कि०मी० 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड पर सुरंग निर्माण कार्य हेतु डिमांड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं०-8वी/यू०सी०पी०/06/54/2017/एफ०सी०/1253 दिनांक 23.10.2017 तथा आपका पत्रांक-NHIDCL/DDN/Silkyara Tunnel/2017-18/D-496 दिनांक 06.11.2017।

महोदय,

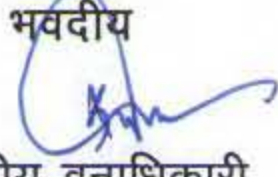
भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लिखित शर्त सं०-1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं०-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित दर के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन जमा करने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2		4	5
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण।	9.116 हे०	2,53,332.00	23,09,375.00
2	एन०पी०वी० सुरंग निर्माण पहुंच मार्ग।	3.823 हे०	इकोक्लास-V घनत्व-0.5 दर-845000	32,30,435.00
I	सुरंग के भूमिगत क्षेत्र।	4.62 हे०	इकोक्लास-V घनत्व-0.1 दर-657000	30,35,340.00
II	डम्पिंग स्थलों के निर्माण हेतु।	2.64 हे०	इकोक्लास-V घनत्व-0.9 दर-939000	24,78,960.00
योग :-		20.199 हे०	-	1,10,54,110.00

इसके अतिरिक्त आप द्वारा उक्त परियोजना के प्राक्कलन में उल्लिखित मक डिस्पोजल प्लान में केवल निर्धारित स्थल पर मलवा डालने का उल्लेख किया गया है, परन्तु डाले जाने वाले मलवे का नियन्त्रण तथा अभियान्त्रिक एवं वानस्पतिक उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके फलस्वरूप इस वन प्रभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त डाले जाने वाले मलवे का अभियान्त्रिक एवं वानस्पतिक उपचार हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसके अनुसार निर्धारित धनराशि निम्नलिखित है।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
3	डम्पिंग स्थलों का अभियान्त्रिक एवं वानस्पतिक उपचार	2.64 है०	प्राक्कलन के अनुसार	29,00,000.00

कृपया उपरोक्त कम संख्या-3 पर उल्लेखित रू०- 29.00 लाख की धनराशि को बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के नाम बना कर इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

भवदीय

 प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरागर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी।



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
E-Mail dfobarkot-forest-uk@gov.in
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 1138 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, नवम्बर 13, 2017।

सेवा में,

महा प्रबन्धन (परियोजना),
राष्ट्रीय राज मार्ग एवं अवसंरचना,
विकास निगम लि०, हाउस नं० 58/37, प्रथम तल,
बलवीर रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग-134 (पुराना राष्ट्रीय राज मार्ग 94) के कि०मी० 24.300 से कि०मी० 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड तक सुरंग निर्माण कार्य (चारधाम राज मार्ग विकास परियोजना) हेतु राष्ट्रीय राज मार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि० देहरादून को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून की पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/०६/५४/२०१७/एफ०सी०/१२५३, दिनांक 23.10.2017।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून द्वारा विषयगत सुरंग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

1- शर्त संख्या-1 तथा 2 के अनुसार आपके द्वारा निम्न प्रकार धनराशि जमा की जानी है। प्रमुख संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2, दिनांक 19.08.2015 द्वारा वसूली वर्ष 2017-18 के लिए वृक्षारोपण से सम्बन्धित निर्धारित दरों के अनुसार तथा एन०पी०वी० की धनराशि का मांग पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया संलग्न मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा करने का कष्ट करें तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ कैम्पा कार्यालय में जमा की गई धनराशि से सम्बन्धित चालान की प्रति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि तदनुसार शर्तों की अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

2- सुरंग निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु चयनित आरक्षित वन क्षेत्र के 0.91 हे० उपचार हेतु आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्राविधान नहीं किया गया है। वन क्षेत्र जिसमें सुरंग के उत्सर्जित मलवे को डाला जाना है के भू-क्षरण की सम्भावना को देखते हुए उक्त क्षेत्र के उपचार हेतु क्षेत्र में मृदा संरक्षण हेतु चैक डैम, रिटेनिंगवाल तथा वानस्पतिक पुनरोत्पादन हेतु कार्य किये जाने हैं। उक्त कार्य का प्राक्कलन एवं मांग पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के खाते में हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जे०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

क्रमशः.....2

12-1 land transfer..

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रा0रा0मार्ग 134(पुराना रा0रा0मार्ग 94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक 74.742 हे0 वन भूमि सिलक्यारा बैण्ड सुरग निर्माण हेतु (चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना) के अन्तर्गत हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र। अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0 में)	दर प्रति हे0 (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रा0रा0मार्ग 134(पुराना रा0रा0मार्ग 94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक 74.742 हे0 वन भूमि सिलक्यारा बैण्ड सुरग निर्माण	14.742	5	1-सुरग निर्माण कार्य का भूमिगत क्षेत्र का घनत्व-शून्य 2- सुरग निर्माण कार्य का पोर्टल क्षेत्र का घनत्व-0.5	1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख रखाव हेतु धनराशि 2- एन0पी0वी0 की धनराशि (सुरग निर्माण का भूमिगत क्षेत्र) 3-(अ) एन0पी0वी0 की धनराशि (सुरग निर्माण का पोर्टल भाग का क्षेत्र (ब) मलवा निस्तारण का क्षेत्र	7.00 11.332 2.50 0.910 3.410	253332.00 प्रति हे0 657000.00 प्रति हे0 845000.00 प्रति हे0	1773324.00 7445124.00 2112500.00 768950.00 2881450.00 12099898.00
कुल योग		एक करोड बीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ अठानवे रू0						


 (जे0पी0 सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रा0रा0मार्ग 134(पुराना रा0रा0मार्ग 94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक 74.742 हे0 वन भूमि सिलक्यारा बैण्ड सुरग निर्माण हेतु (चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना) के अन्तर्गत उत्सार्जित मलवे के निस्तारण क्षेत्र का भू-क्षरण रोकथाम हेतु किये गये उपचार कार्यों हेतु धनराशि का मांग पत्र।

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	9
1	रा0रा0मार्ग 134(पुराना रा0रा0मार्ग 94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी0 51.900 तक 74.742 हे0 वन भूमि सिलक्यारा बैण्ड सुरग निर्माण	14.742	5	1-सुरग निर्माण कार्य का भूमिगत क्षेत्र का घनत्व-शून्य 2- सुरग निर्माण कार्य का पोर्टल क्षेत्र का घनत्व-0.5	सुरग निर्माण के दौरान उत्सार्जित मलवे के निस्तारण क्षेत्र का भू-क्षरण रोकथाम हेतु किये गये उपचार कार्यों हेतु धनराशि की मांग	1000000.00
	कुल				(दस लाख रू0 मात्र)	1000000.00

(जे0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।